कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

// विज्ञापन //

क्रमांक 895/दो–6–1/2017 जांजगीर–चांपा दिनांक 01/05/2017

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 19/06/2017 संध्या 5:00 बजे तक

जिला न्यायालय जांजगीर–चांपा (छ0ग0) की स्थापना के अंतर्गत निम्न सारिणी में दर्शित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती किए जाने हेतु अर्हता प्राप्त इच्छुक भारतीय नागरिक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जो इस कार्यालय को दिनांक 19/06/2017 की संध्या 5:00 बजे तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। **विज्ञापन जारी होने के पूर्व तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।**

पद का नाम – हिन्दी स्टेनोग्राफर
वेतनमान – 5200–20200 + 2800 ग्रेड पे
कुल रिक्त पद – 08
पदों का वर्गीकरण:–

वर्ग	कुल	
अनारक्षित	02	जिसमें से 01 पद महिला
अनुसूचित जाति	05	जिसमें से 02 पद महिला एवं 01 पद भूतपूर्व सैनिक
अनुसूचित जनजाति	01	
कुल	**08**	

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण,
2. म0प्र0/छ0ग0 शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन 100 शब्द प्रतिमिनट की गति एवं हिन्दी मुद्रलेखन 25 शब्द प्रतिमिनट की गति, परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र,
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का ज्ञान।

पद का नाम – अंग्रेजी स्टेनोग्राफर
वेतनमान – 5200–20200 + 2800 ग्रेड पे
कुल रिक्त पद – 02
पदों का वर्गीकरण:–

वर्ग	कुल	
अनारक्षित	02	जिसमें से 01 पद महिला
कुल	**02**	

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण,
2. म0प्र0/छ0ग0 शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन 100 शब्द प्रतिमिनट की गति एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन 30 शब्द प्रतिमिनट की गति, परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र,
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का ज्ञान।

पद का नाम – सहायक ग्रेड–03 (सेल अमीन/कनिष्ठ नायब नाजिर /साक्ष्य लेखक/प्रतिलिपिकार)
वेतनमान – 5200–20200 + 1900 ग्रेड पे
कुल रिक्त पद – 20
पदों का वर्गीकरण:–

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण,

वर्ग	कुल	
अनारक्षित	14	जिसमें से 04 पद महिला, 01 पद दिव्यांग एवं 01 पद भूतपूर्व सैनिक
अनुसूचित जाति	02	जिसमें से 01 पद महिला
अनुसूचित जनजाति	04	जिसमें से 01 पद महिला
कुल	**20**	

2. म0प्र0/छ0ग0 शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन 25 शब्द प्रतिमिनट की गति, परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र.
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का ज्ञान।

पद का नाम – सिस्टम असिस्टेंट संविदा
वेतनमान – 9700 एकमुश्त प्रतिमाह
कुल रिक्त पद – 02
पदों का वर्गीकरण:–

वर्ग	कुल	
अनारक्षित	02	जिसमें से 01 पद महिला
कुल	**02**	

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता

1. 10वीं उत्तीर्ण उपरांत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आई0टी0आई0 डिप्लोमा (कम्प्यूटर) या उसके समकक्ष

पद का नाम – सिस्टम ऑफिसर संविदा
वेतनमान – 16440 एकमुश्त प्रतिमाह
कुल रिक्त पद – 01
पदों का वर्गीकरण:–

वर्ग	कुल	
अनारक्षित	01	
कुल	**01**	

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता

1. बी0ई0/बी0टेक0/एम0सी0ए0 (कम्प्यूटर साइंस)/ सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग
   या
   भौतिकी/गणित/सांख्यिकी/ ऑपरेशनल रिसर्च में प्रथम श्रेणी या कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नाकोत्तर उपाधि या कम्प्यूटर साइंस/एप्लीकेशन में स्नाकोत्तर उपाधि या कम्प्यूटर साइंस/इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी/60 प्रतिशत अंकों सहित स्नाकोत्तर उपाधि या समकक्ष
   या
   दो वर्ष के कार्यानुभव सहित बी0एस0सी0 (कम्प्यूटर साइंस/आई0टी0)/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 (भौतिकी/गणित/सांख्यिकी/ऑपरेशनल रिसर्च) या किसी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा

टीप :–

1. सहायक ग्रेड–03 के विभिन्न पद **(सेल अमीन/कनिष्ठ नायब नाजिर/साक्ष्य लेखक/प्रतिलिपिकार)** हेतु एक ही आवेदन किया जाना है।
2. यदि आवेदक विज्ञापित पदों में से एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप में पेश करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

महत्वपूर्ण:–

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले

आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

1. आयु सीमा एवं पात्रता संबंधी शर्तें :-

1. छ0ग0 से बाहर के आवेदकों की आयु दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए।
2. छ.ग. राज्य स्थानीय निवासियों के लिए छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3, नया रायपुर, दिनांक 23.01.2017 के अनुसार निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट की अवधि को कैलेण्डर वर्ष 2018 तक बढ़ाई गई है। अन्य विशेष वर्गो को अधिकतम आयु सीमा में प्राप्त छूट यथावत लागू रहेंगी, किन्तु सभी छूट को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3. आरक्षित वर्ग/महिला/भू.पू.सै./दिव्यांग/शासकीय कर्मचारियों को अधिकतम आयुसीमा में छूट छ0ग0 शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी नियमानुसार होगी।
4. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी एवं छ0ग0 शासन द्वारा घोषित/मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग **(क्रिमीलेयर को छोड़कर)** के आवेदकों को उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष के छूट की पात्रता होगी परंतु किसी भी स्थिति में छूट की आयु को मिलाकर उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
5. छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिनजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ0ग0 शासन के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
6. ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी/सेवक हो, अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व में की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि 01 से अधिक बार की गयी सेवाओं के योग को कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – छंटनी किए गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य की, शासन की अथवा किसी संगठन ईकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 06 माह तक निरन्तर रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

7. भूतपूर्व सैनिक की अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा पहले दी गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जावेगी बशर्ते उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

8. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ0/1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए छः माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही पूर्व से ही आयुसीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

9. स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. महिलाओं के लिए आयु सीमा में छूट शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि, उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी। विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावेगी परंतु किसी भी स्थिति में छूट की सीमा को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

11. अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष के छूट की पात्रता होगी ।

12. विक्रम पुरस्कार, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीणचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट होगी ।

13. दिव्यांग अभ्यर्थी को अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जावेगी जो कि छत्तीसगढ़ के जिला चिकित्सा मण्डल अथवा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित दिव्यांगों के उद्यमी पुर्नवास केन्द्र नेपियर टाउन जबलपुर म0प्र0 के अधीक्षक अथवा छ0ग0 शासन के अधीक्षक द्वारा प्रमाणित दिव्यांग प्रत्याशी को ही होगी।

14. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (शासकीय सेवकों को नियमानुसार छूट होगी)।

15. कोई भी उम्मीदवार जिसने न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा ।

16. ऐसा कोई पुरूष जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और ऐसी कोई स्त्री जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसकी एक पत्नि पूर्व से जीवित हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे ।

17. जिन आवेदकों की दो से अधिक संतान हो जिनमें से अंतिम बच्चे का जन्म 26/01/2001 के पश्चात् हुआ हो वे नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे।

18. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

19. यदि आवेदक कोई अन्य छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देश का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

20. यदि विज्ञापन में दर्शित एवं राज्य शासन द्वारा घोषित आयु सीमा में छूट के संबंध में किसी प्रकार की विसंगति होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा घोषित नियम अधिभावी होगा।

2. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया –

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में ए 4 साईज के पेपर में पूर्णतया कम्प्यूटर प्रिंट या टंकित किए हुए ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **19/06/2017 की संध्या 5:00 बजे तक** बंद लिफाफा में जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से **आवेदित पद का नाम एवं संवर्ग** लिखा हो, स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकेंगे। **(व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे)** अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर), दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई–स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा ।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करता है, तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. कार्यानुभव के संबंध में नियोक्ता द्वारा जारी कार्यानुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्यानुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न नही किए जाने की स्थिति में कार्यानुभव हेतु अंक प्रदान नही किए जायेंगे ।
6. आवेदन पत्र में चस्पा फोटो स्वप्रमाणित होना चाहिए तथा साथ ही एक बिना प्रमाणित स्वयं का पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न करना अनिवार्य हैं। फोटो के पीछे स्वयं का नाम पिता का नाम एवं जन्म तिथि का उल्लेख किया जाना अनिवार्य हैं।
7. आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा एवं 5 रू0 का डाक टिकट चस्पा किया हुआ 03 नग **खुला लिफाफा** 22x11 सेमी0 आकार का आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। यदि आवेदक द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नही किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में आवेदक को सूचना नहीं प्राप्त होने पर जवाबदारी स्वयं आवेदक की होगी ।
8. प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् पात्र/अपात्र आवेदकों की जानकारी, लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा **(जो भी भर्ती समिति द्वारा निर्धारित की जाती है)** की तिथि संबंधी जानकारी एवं भर्ती संबंधी

समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश वेबसाईट http://janjgir-champa.nic.in एवं http://dlsajanjgir.cg.gov.in/JanjgirDistrictCourt/index.html, तथा http://ecourts.gov.in/india/chhattisgarh/janjgir-champa/recruitment में से किसी एक या उक्त सभी वेबसाईटों पर उपलब्ध कराई जावेगी। इस हेतु पृथक से सूचित नहीं किया जावेगा।

9. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप संबंधित वेबसाईट के लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है ।
10. जिन आवेदकों को परीक्षा तिथि तक परीक्षा में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व या परीक्षा समय के दो घंटे पहले तक अपने आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण/पावती सहित या आवेदन पत्र की छायाप्रति सहित एवं स्वयं के पहचान पत्र यथा–ड्रायविंग लाईसेंस/वोटर आई डी कार्ड/आधार कार्ड/पेन कार्ड/बैंक पास बुक आदि लेकर कार्यालय में उपस्थित होने पर परीक्षण उपरांत उनकी उम्मीदवारी सही पायी गयी तो डुप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी कर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी।
11. प्रवेश पत्र परीक्षार्थियों हेतु एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है किसी भी चरण की परीक्षा में बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

3. चयन प्रक्रिया

1. आवेदन पत्रों की छंटनी के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा द्वारा नामांकित भर्ती समिति अर्थात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा योग्य उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा **और या** साक्षात्कार, जैसा की उक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है, आहूत किया जावेगा, जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जावेगी। योग्य एवं अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची पृथक से जिला एवं सत्र न्यायालय के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट पर सूचित किया जाएगा। आवेदन पत्रों की छटनी के पश्चात् योग्य एवं अयोग्य उम्मीदवारों की सूची एवं http://dlsajanjgir.cg.gov.in/JanjgirDistrictCourt/index.html तथा http://ecourts.gov.in/india/chhattisgarh/janjgir-champa/recruitment एवं http://janjgir-champa.nic.in में से किसी एक या उक्त सभी वेबसाईटों पर उपलब्ध कराई जावेगी।
2. सिस्टम असिस्टेंट एवं सिस्टम ऑफिसर पद की चयन प्रकिया इस विज्ञापन की कंडिका 3.1 में उल्लेखित है। शेष पदों के लिए लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा **और या** साक्षात्कार तीनों हो सकता है अथवा केवल कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार भी हो सकता है, जैसा भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा द्वारा गठित भर्ती समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा।
3. योग्य उम्मीदवारों का बुलावा पत्र (Call letter) जिला एवं सत्र न्यायालय के उक्त वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी।
4. उम्मीदवारों को चयन प्रकिया के संबंध में पृथक से वेबसाईट, प्रवेश पत्र व स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जावेगा।
5. सिस्टम असिस्टेंट एवं सिस्टम ऑफिसर के पद को छोड़कर यदि शेष पदों के लिए लिखित परीक्षा होगी तो वह मात्र कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की छंटनी के लिए होगी। केवल कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर योग्य उम्मीदवार की श्रेणीवार/वर्गवार तथा पृथक से प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची

उम्मीदवारों को चयन परीक्षा के प्रत्येक चरणों में उपस्थित होना अनिवार्य है, किसी भी चरण में अनुपस्थित पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त मानी जावेगी। कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। उक्त में 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नामों पर चयन हेतु विचार नहीं किया जावेगा। वर्गवार रिक्त पदों की नियमानुसार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी जो चयन सूची जारी होने के 01 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

3.1 **सिस्टम असिस्टेंट एवं सिस्टम ऑफिसर**

1. **प्रथम चरण** लिखित परीक्षा — 40 अंक
2. **द्वितीय चरण** साक्षात्कार — 10 अंक

1. **प्रथम चरण—**

   सिस्टम असिस्टेंट एवं सिस्टम ऑफिसर (संविदा) के पदों हेतु तकनीकी ज्ञान आधारित एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जावेगा जो 40 अंको का होगा, जिसमें 40 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा एवं चार विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना होगा, ऋणात्मक मुल्यांकन नहीं किया जावेगा। जिसे 01:00 घण्टे में हल करना होगा।

2. **द्वितीय चरण**

   प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी तथा वरीयता के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को द्वितीय चरण हेतु आमंत्रित किया जावेगा। अंतिम उम्मीदवारों द्वारा सामान अंक अर्जित करने पर समान अंक पाने वाले सभी उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जावेगा, जिस कारण 10 गुना उम्मीदवारों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। जो 10 अंकों का होगा।

चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची

जो उम्मीदवार प्रथम अथवा द्वितीय चरण की परीक्षा में अनुपस्थित रहेगा उसकी उम्मीदवारी स्वतः समाप्त मानी जावेगी। प्रथम चरण अर्थात लिखित परीक्षा तथा द्वितीय चरण अर्थात साक्षात्कार में प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। 33 **प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नामों पर चयन हेतु विचार नहीं किया जावेगी। वर्गवार रिक्त पदों की नियमानुसार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी जो चयन सूची जारी होने के 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।**

4. **अन्य शर्ते—**

1. प्रशासनिक एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से यह विज्ञापन परीक्षा के किसी भी स्तर पर बिना पूर्व सूचना दिये कभी भी निरस्त/स्थगित की जा सकेगी। **जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा गठित भर्ती समिति अर्थात् सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी के समय या भर्ती प्रकिया के किसी भी स्तर पर आवेदकों की उम्मीदवारी (Candidature) को तय करने के लिए उनके शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता का "कट ऑफ मार्क्स" निर्धारित कर सके।**

2. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

3. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिसमें अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्मतिथि और प्राप्तांक समान होने की दशा में कौशल परीक्षा तत्पश्चात् साक्षात्कार में अर्जित अंकों के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

4. महिला हेतु आरक्षित पदों पर योग्य महिला उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर उसी संवर्ग के पुरूष उम्मीदवार का चयन किया जावेगा।

5. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।

6. अनुशासन एवं नियत्रंण छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अध्यधीन होंगे तथा नियुक्त कर्मचारी नियोक्ता के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

7. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई नियुक्ति हैं अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती हैं।

8. चयनित उम्मीदवार का पुलिस सत्यापन कराये जाने पर चरित्र सही नहीं पाये जाने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

9. जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य (फिटनेस) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा।

10. चयनित कर्मचारी की सेवायें या तो कर्मचारी द्वारा नियुक्ति अधिकारी को या नियुक्ति अधिकारी द्वारा कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह का वेतन भुगतान कर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

11. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परवीक्षा अवधि पर की जावेगी, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर उक्त अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई भी जा सकेगी या सेवा समाप्त भी की जा सकेगी।

12. जिला न्यायालय के सिस्टम असिस्टेंट एवं सिस्टम ऑफिसर के पद पर परिनियोजन जिला न्यायालय के आवश्यकतानुसार 12 माह की अवधि के लिए होगा। सिस्टम असिस्टेंट एवं सिस्टम ऑफिसर के पद पर चयनित किए गए व्यक्ति को 12 माह से अधिक के परिनियोजन का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि उनके परिनियोजन की अवधि समाप्त होने के बाद बढ़ाई नहीं जाती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा को यह पूर्ण अधिकार होगा कि यदि चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं उनके परिनियोजन काल में संतुष्टिजनक नहीं पाई जाती है या वे किसी अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो वे उसकी सेवाएं समाप्त कर दें।

13. सिस्टम असिस्टेंट एवं सिस्टम ऑफिसर के पद पर चयनित अभ्यर्थी को प्रथम 03 माह तक किसी भी अवकाश की पात्रता नहीं होगी, अनुपस्थित होने की दशा में नियमानुसार वेतन काटा जाएगा। 03 माह पश्चात् अभ्यर्थी को प्रतिमाह 01 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, परंतु लगातार 03 दिवस से ज्यादा आकस्मिक

अवकाश, पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती अवकाश सहित स्वीकार्य नहीं होगा। शेष बचे आकस्मिक अवकाश हेतु कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

14. सिस्टम असिस्टेंट एवं सिस्टम ऑफिसर पद पर चयनित अभ्यर्थी को जिले के अंदर तहसीलों में भी जाकर कार्य करना पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हे किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता स्वीकार नहीं किया जावेगा।

15. अभ्याथीं को किसी उच्च न्यायालय शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया हो तो वह अपात्र माना जायेगा।

16. कोई भी अभ्यार्थी किसी दांडिक प्रकरण में दंडित किया गया हो, तो वह अपात्र माना जावेगा।

17. यदि किसी कारणवश किसी उम्मीदवार को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है, तो उसके लिए कार्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।

18. चयन परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

19. चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति सिविल जिला जांजगीर–चांपा के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकती है तथा नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा।

20. उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शित रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी, जिसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

21. समक्ष प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि भर्ती परीक्षा के अभिलेख परीक्षा परिणाम घोषित होने के 06 माह के पश्चात् नष्ट कर सकेंगें। इस अवधि के पश्चात् सूचना के अधिकार के तहत् प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु प्रस्तुत आवेदन या दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

22. चयन हेतु उम्मीदवार की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ0ग0) को होगा।

23. चयन प्रक्रिया के संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा का निष्कर्ष अंतिम होगा।

5. **<u>अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी</u>**

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

आवेदक जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर–चांपा की वेबसाइट लिंक http://dlsajanjgir.cg.gov.in /JanjgirDistrictCourt/index.html, तथा http://ecourts.gov.in/india/chhattisgarh/janjgir-champa तथा http://janjgir-champa.nic.in से विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं एवं आवेदन पत्रों तथा परीक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अनुमोदित
सही/–
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

(संतोष कुमार आदित्य)
अध्यक्ष भर्ती/पदोन्नति समिति एवं
अपर जिला न्यायाधीश (एफटीसी)
जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

आवेदन का प्रारूप

(अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिन्दी स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड–03, सिस्टम असिस्टेंट (संविदा) एवं सिस्टम ऑफिसर (संविदा) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र)

आवेदक स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करें।

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

1– आवेदित पद का नाम ....

2– आवेदक का पूरा नाम ....

3– आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में) ....

4– आवेदक के पिता/पति का नाम ....

5– वर्ग (अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0)..

6– आवेदक का वर्तमान पत्र व्यवहार का पता ....

....

....

....

7– आवेदक का स्थायी पता ....

....

....

मोबाईल नंबर ....

8– जन्मतिथि (अंकों में) ....

(दिनांक 01–01–2017 को आयु) वर्ष...................माह.......................दिन.........................

9– लिंग (पुरूष/महिला). ....

10– राष्ट्रीयता ....

11– क्या आवेदक छत्तीसढ़ का मूल निवासी है ....
(हॉं/नही)

12– रोजगार कार्यालय का नाम एवं पंजीयन क्रमांक व दिनांक ....

13– क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं (हॉं/नही)..

14— क्या आप दिव्यांग हैं (हॉं/नही) ....

दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत ....

15— यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि ....

16— जीवित संतानों की संख्या ....

17— शैक्षणिक एवं तकनीकी आर्हता—

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड /वि.वि. का नाम	वर्ष	प्राप्तांक/ कुल अंक	प्रतिशत	श्रेणी
1						
2						
3						
4						
5						
6						

18 कार्यानुभव का विवरण

क्र.	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल वर्ष
1				
2				
3				

19— क्या वर्तमान में किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत है (हॉं/नही),
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

20— यदि आवेदक का कोई प्रकरण न्यायालय में ....

लंबित हो या उसे किसी न्यायालय द्वारा ....

दोषसिद्ध किया गया हो तो उसका विवरण ....

21— आवेदन के साथ संलग्न सत्यापित दस्तावेज का विवरण —

1—
2—
3—
4—
5—
6—
7—

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित पदों की पात्रता की शर्तों को ध्यान से पढ़ा है, इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दिए गये सभी विवरण एवं संलग्न सभी दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी असत्य/अपूर्ण पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मुझे जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर चांपा द्वारा नामांकित कमिटी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयन हेतु निर्धारित परीक्षा मान्य होगी।

स्थान–
दिनांक–

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का पूरा नाम एवं पता)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

–: लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र :–
(प्रवेश पत्र दो प्रतियों में संलग्न करें)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

(कार्यालय द्वारा भरा जावेगा)

रोल नंबर :–

परीक्षा केन्द्र / स्थान :–

परीक्षा का दिनांक / / 2017 समय :–

आवेदक के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी

(आवेदक द्वारा भरे जाने वाली जानकारी)

आवेदित पद का नाम :– ....

परीक्षार्थी का नाम :– ....

पिता का नाम :– ....

पता – :– ....

:– ....

:– ....

प्रवेशपत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1– परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।
2– परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है।
3– परीक्षा में केवल काले या नीले पेन का उपयोग करें।
4– परीक्षा के दौरान वीक्षक / चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक / चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
5– परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षा प्रपत्र पर किसी प्रकार का पहचान चिन्ह अंकित किए जाने पर परीक्षार्थी का उत्तर पुस्तिका की जॉच नही की जायेगी।
6– परीक्षा में किसी प्रकार का वर्जित कागजात, पुस्तक, पेजर, कैल्क्यूलेटर, **मोबाईल फोन** इत्यादि रखना वर्जित है।